हकियत वाद सं0— 17 / 2019

दिनांक—23.02.2021

उभय पक्षों का हाजरी है। आज अभिलेख वादी के तरफ से अंदर आदेश 39 नियम 1 वो 2 दफा 151 सिविल प्रकिया संहिता पर प्रतिवादी के प्रतिउत्तर दिनांक

वादी द्वारा यह वाद इस वाद की तकरारी भूमि जिसका विवरण वादपत्र के मद नं0 1 में दी गई है उस पर अपना हकियत घोषित कराने हेतु लाई गई है। साथ ही तकरारी एराजी क पश्चिम चौड़ा वो 260 फिट उत्तर—दक्षिण प्रतिवादी द्वारा किया गया अतिकमण को हटाने का भी पारितोष मांगा गया है। वाद चलने के दरमयान प्रतिवादी उपस्थित होकर अपना बयान तहरीरी दाखिल कर चुके हैं जिसके तहत प्रतिवादी ने अपने द्वारा किए गए अतिकमण से इंकार किया हैं। बदरम्यान मुकदमा प्रतिवादी जो काफी दबंग वो पैसे वाले है तथा जिनका सांठ—गांठ इलाके के दबंग एवं अपराधी प्रवृति के लोग हैं। फलस्वरूप प्रतिवादी कानून वो प्रशासन को न मानते हुए बाजबरदस्ती सपूंर्ण तकरारी एराजी 3क0 को नये सिरे से निर्माण कर कब्जा करने पर अमादा है। जबकि उन्हें वादीगण की भूमि जो इस वादपत्र के तकरारी भूमि है तथा जिसका विवरण वादपत्र के मद नं0 1 में दी गई से कोई इलाका वो सरोकार नहीं हैं। तकरारी एराजी के संबंध में वादी का प्रथम दृष्टया में वाद है। वो तुला का संतुलन भी वादी के पक्ष में है तथा प्रतिवादी अगर निर्माण कर तकरारी भूमि का स्वरूप परिवर्तन करते है तो वादी को अपूर्णिय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी को तकरारी एराजी मद सं0 1 की भूमि के स्वरूप परिवर्तन करने से ता फैसला मुकदमा रोक लगा दिया जाए।

प्रतिवादी द्वारा वादी के तरफ से दिए गए आवेदन के आलोक में कथन किया है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन तथ्य एवं कानून दोनों दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं है। अस्वीकृत होने योग्य है। उपरोक्त वाद में प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन दिनांक 15.05.2019 को दाखिल किया गया है, जिसमें वाद से संबंधित सभी तथ्यों का उल्लेख किया गया है और प्रतिवादी द्वारा दाखिल लिखित कथनों को कारण पृच्छा का अंश माना जाये। आवेदन के कंडिका 1 में तकरारी भूमि में कितने अंश का अतिकमण किया गया है स्पष्ट नहीं होता है। तौजी नं0— 306 थाना नं0— 110 रकबा 4 कठा बजरिये रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 02.12.2011 माध्यम

से सीता देवी जौजे–भागीरथ राम ने जवाहन लाल दास वल्द हारिल लाल दास से खरीदगकर शांतिपूर्ण दखल कब्जा में चले आ रहे हैं। जिसका दाखिल खारिज हो चुका है। अतिक्रमण की बातें बिल्कुल गलत है वो झूठा है। वादी द्वारा गलत बयान किया गया है कि प्रतिवादी जो काफी दबंग वो पैसे वाले है तथा जिनका सांठ–गांठ दबंग तथा अपराधी प्रवृति के लोगों से है। जबकि प्रतिवादी दलित वर्ग से आते हैं वो ये आरोप वादी द्वारा लगाना बिल्कुल बे बुनियाद वो झूठा है। प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में नहीं है। बल्कि प्रतिवादी के पक्ष में है। तौजी नं0– 306, थाना नं0 110 रकबा 4 कठा पर सीता देवी जौजे भागीरथ राम का बैनामा के रोज से दलख कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार प्रतिवादी के विरूद्ध निषेधाज्ञा आदेश पारित करने से प्रतिवादी को अपूर्णिय क्षति होगी। उपर की बातों से स्पष्ट है कि वादी के पक्ष में न तो प्रथम दृष्टया मामला बनता है और न उसे सुविधा का भार प्राप्त है और इस प्रकार प्रतिवादी के विरूद्ध निषेधाज्ञा आदेश पारित करने के कारण प्रतिवादी को अपूर्णिय क्षति होगा और न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकृत होने योग्य नहीं है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में कारण पृच्छा मंजूर कर वादी द्वारा दिनांक 27.08.2019 को दाखिल आवेदन साथ खर्चा अस्वीकृत करने की कृपा प्रदान करें।